प्र.सं. 9/22 हमेरा के बजाय श्रीमती ककूडी व अन्य बनाम नारू व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.10.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मनावतपुरा, तहसील लसाडिया में आराजी नंबर 1701 रकबा 44 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 11 के पिता/पति पेमा के नाम 1/5 हिस्सा दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य 1/5 हिस्से बाबत् ही विवाद है। वादी एवं प्रतिवादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार होकर मूल पुरूष आला जी थे। आला के 4 पुत्र मोडा, नवला, तेजा व केसा हुए। केसा लाऔलाद फोत हुआ, जिसे मोडा, तेजा व नवला ही वारिस हैं एवं केसा का हिस्सा तीनों भाईयों में न्यायगमित हो गया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी में वादी संख्या 1 का 1/15 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/30 हिस्सा, वादी संख्या 3 व 4 का 1/30 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का 1/15 हिस्सा होकर पक्षकारान इसी अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। आला जी के निधन के समय नवला, तेजा व केसा नाबालिग थे और बालिग होने पर अपने–अपने हिस्से पर काबिज हैं। राज्य सरकार के गठन के वक्त राजस्व रेकार्ड में आला जी के चारों पुत्रों का 1/5 हिस्सा दर्ज हुआ, लेकिन मोडा बड़ा पुत्र होने से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपने भाईयों का नाम हटवा कर मोडा पिता आला 1/5 हिस्सा दर्ज करवा लिया, जबकि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण का 80 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। अतः वाद वर्णित आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण को उनके हक हिस्से अनुसार खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10.11.2021 को निर्णय पारित करते हुए वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 से 11 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:13:57 IST
Reason: SelfAttested

किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री भूरालाल डांगी उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र गहलोत उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन नहीं किया है, क्योंकि प्रस्तुत साक्ष्य, साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती है। प्रस्तुत शपथ पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य पर शपथ नहीं दिलायी गयी है और जहां साक्ष्य को शपथ नहीं दिलायी गयी है, वह शपथ पत्र साक्ष्य की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेज जो प्रदर्श ही नहीं हुए, उनका अवलोकन कर निर्णय पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। इसी प्रकार तहसीलदार की रिपोर्ट को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है इसलिए उक्त रिपोर्ट को साक्ष्य में देखा ही नहीं जा सकता है, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 39 नियम 7 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौके की रिपोर्ट तलब किये जाने का आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है, क्योकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने हेतु कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता। पक्षकारान जाति से मीणा होकर उनपर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन का वाद नहीं था, सिर्फ धारा 88, 188 का वाद था, ऐसी स्थिति में हिस्से अनुसार वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 136 की आड़ में भूमि का विभाजन कर हिस्सा कारित करने में विधि भूल की है। अपीलान्टगण को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिससे उनके अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं तहसीलदार लसाड़िया से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:13:57 IST
Reason: SelfAttested

है वह विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों तथा तहसीलदार लसाडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत प्रकट नहीं होता है। क्योंकि पत्रावली पर प्रतिवादीगण का जवाबदावा आ चुका था, ऐसी स्थिति में वाद एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित करना था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण को बिना सुने मात्र वादीगण की बहस सुनकर एवं उनकी ओर से प्रस्तुत शपथ पत्रों व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित करते हुए वादीगण द्वारा चाहे गये हिस्से अनुसार वाद डिक्री कर दिया है, जबकि वादीगण द्वारा विभाजन का वाद प्रस्तुत नहीं किया जाकर मात्र खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था एवं उसके साथ इन्द्राज दुरस्ती चाही गयी थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के जवाबदावे पर बिना कोई गौर किये एवं अपीलान्टगण को बिना सुने निर्णय पारित किया है, जो प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 05/2019 निर्णय व डिक्री दिनांक 10.11.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में वाद एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर तथा पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 09.12.2024 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 15.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
अतिरिक्त
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.11.19 11:13:57 IST
Reason: SelfAttested